

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1अम्बेडकर भवन राजमहल पेलेस के पास जयपुर
क्रमांक एफ. 1 (8)(67)पार्ट द्वितीय / सामान्य/सान्याअवि/2020/ 34965 जयपुर, दिनांक : 1/7/20

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित परीक्षाओं में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में बैठने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	नाम कार्यालय जिससे सम्बन्धित है।	कक्षा
1	श्री अशोक कुमार	जिला पुनर्वास अधिकारी	निदेशालय विशेष योग्यजन, सान्याअवि, कोटा।	PHD. Entrance Test, 2019
2	श्री रूपाराम नाई	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	सान्याअवि, ब्लॉक फतेहपुर, सीकर	एम.ए. (इकोनोमिक्स) तथा इग्नू (इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय) से एम. ए. (मनोविज्ञान)
3	श्री गजराज सिंह यादव	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि, बारां	एम.ए. (समाजशास्त्र)
4	श्री हुकम चन्द जाजोरिया	परिवीक्षा अधिकारी	कार्यालय सहायक निदेशक सान्याअवि बून्दी।	एम.ए. (राजनैतिक विज्ञान)
5	श्री खुशीराम जाट	कनिष्ठ सहायक	निदेशालय सान्याअवि जयपुर	स्नातकोत्तर (उत्तरार्ध) (राजनीति विज्ञान)
6	श्री कुलदीप आलरिया	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह चुरु	बी.ए. तृतीय वर्ष
7	श्री नितिन जैन	कनिष्ठ सहायक	निदेशालय सान्याअवि जयपुर	एम.ए. पूर्वाद्ध (लोक प्रशासन)
8	श्री शिवराज भिच्छर	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह चुरु	बी.ए. द्वितीय वर्ष
9	श्री सन्तोष कुमार सिंहल	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि दौसा।	एम.ए. पूर्वाद्ध (कम्प्यूटर विज्ञान)

m

10	श्री रितेश कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि दौसा।	एम.ए. पूर्वाद्ध (कम्प्यूटर विज्ञान)
11	श्री मनीष मीना	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि धौलपुर	बीएससी (द्वितीय वर्ष)
12	श्री रामभगत	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई नागौर	एम.ए. (पूर्वाद्ध) राजनीति विज्ञान
13	श्री हितेश कुमार योगी	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय उप निदेशक, सान्याअवि उदयपुर।	बी.ए. प्रथम वर्ष
14	श्री बंशीधर	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक सान्याअवि चुरू	बी.ए. द्वितीय वर्ष
15	श्री मनोज कुमार	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग झुंझुनूं	स्नातकोत्तर (उत्तरार्ध) (इतिहास)
16	श्री भवानी सिंह यादव	छात्रावास अधीक्षक	कार्यालय सहायक निदेशक सान्याअवि चित्तौड़गढ़।	एम.ए.(समाज शास्त्र)
17	श्री प्रदीप कुमार मीणा	छात्रावास अधीक्षक (ग्रेड द्वितीय)	कार्यालय राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह चुरू	स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष
18	श्री विकास कुमार	छात्रावास अधीक्षक (ग्रेड द्वितीय)	कार्यालय राजकीय अम्बेडकर छात्रावास चुरू द्वितीय चुरू।	स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध (गणित)
19	श्री नवरतन खटीक	छात्रावास अधीक्षक	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि राजसमन्द।	बी.ए.ए (अंग्रेजी)
20	श्री विवेक मिश्रा	छात्रावास अधीक्षक	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि भीलवाड़ा।	एम.ए (उत्तरार्ध) संस्कृत
21	श्री कन्हैया लाल चव्हाण	छात्रावास अधीक्षक	कार्यालय उप निदेशक सान्याअवि उदयपुर	एम.एस. डब्ल्यू (उत्तरार्ध)
22	श्री कमला मीणा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	निदेशालय सान्याअवि जयपुर	कक्षा 12वीं
23	श्री प्रकाश कुमार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि सिरौही	बी.ए. प्रथम वर्ष

24	श्री राधेश्याम बैरवा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि अलवर	कक्षा 12 वीं
25	श्री दिनेश कुमार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि जोंधपुर।	बी.ए (तृतीय वर्ष)
26	श्री पूनम राम,	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कार्यालय उप निदेशक, सान्याअवि बीकानेर।	कक्षा 10 वीं
27	श्री मुकेश भाटी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि चुरू।	बी.ए. द्वितीय वर्ष
28	श्री नईम अहमद	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि बांसवाडा।	बी.ए कला वर्ग (तृतीय वर्ष)
29	श्रीमती उषा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कार्यालय सहायक निदेशक सान्याअवि श्रीगंगानगर।	बी.ए प्रथम वर्ष

शर्त:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित /स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

8/2

7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार की जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर अंकतालिका निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।
12. परीक्षा की अनुमति प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

73
11/7/20
(द्वारका प्रसाद गुप्ता)
निदेशक

क्रमांक एफ. 1 (8)(67) / सामान्य / सान्याअवि / 2020 / 34965-95
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर, दिनांक : 11/7/20

1. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
2. अधीक्षक/सम्प्रेक्षण गृह/किशोर गृह/शिशु गृह, सान्याअवि.....।
3. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी श्री.....।

जय
11/7/20
(जय नारायण मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)